भारत में महिलाओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण

कानूनी अधिकार

राजसमंद जन विकास संस्थान

राजसमंद महिला मंच (संगठन)

भारतीय न्याय संहिंता को वर्ष 2023 में भारतीय दंड संहिंता 1860 की जगह पेश किया गया

क्र. सं.	धारा (IPC)	धारा (BNS)	अपराध	अपराध की प्रकृति जमानतिय / अजमानतीय	संज्ञेय / असंज्ञेय	सजा के प्रावधान	न्यायालय
1	376(1) (2)	64(1) (2)	बलात्कार के लिए दंड	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 10 साल की कैद लेकिन जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
2	376(3)	65(1) (2)	कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 20 साल की कैद लेकिन जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
3	376(ख)	67	अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना	जमानतीय	संज्ञेय) केवल पीड़ित की शिकायत पर (	कम से कम 2 साल की कैद , जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
4	376(ग)	68	किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग	अजमा— नतीय	संज्ञेय	कम से कम 5 साल की कैद , जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
5	376(घ)	70(1) (2)	सामूहिक बलात्कार	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 20 साल की कैद लेकिन जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
6	354	74	महिला की लज्जाभंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	अजमानतीय	संज्ञेय	1साल की कैद जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	कोई भी मजिस्ट्रेट
7	354(क)	75(2) (3)	यौन उत्पीड़न	अजमानतीय	संज्ञेय	3साल के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	सत्र न्यायालय
8	354(ख)	76	महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 3 साल की कैद और जुर्माना	सत्र न्यायालय
9	354(ग)	77	तांक-झांक	जमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 1 साल की कैद लेकिन जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
10	354(घ)	78(2)	पीछा करना	जमानतीय	संज्ञेय	3साल की कैद और जुर्माना	कोई भी मजिस्ट्रेट
11	509	79	महिलाओं के प्रति अभद्र इशारे या शब्दों का प्रयोग	जमानतीय	संज्ञेय	3साल के लिए साधारण कारावास	कोई भी मजिस्ट्रेट
12	304 (ख)	80 (2)	दहेज़ मृत्यु - दाह या शारीरिक क्षति	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 7 साल की कैद लेकिन जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है	सत्र न्यायालय

13	493	81	पुरुष द्वारा धोखे से वेध विवाह का विश्वास उत्पन्न करके सहवास करना	अजमानतीय	असंज्ञेय	10साल की कैद और जुर्माना	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
14	494	82(1)	पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा विवाह करना	जमानतीय	असंज्ञेय	7साल की कैद और जुर्माना	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
15	495	82(2)	पूर्व विवाह छुपाकर दूसरा करना	जमानतीय	असंज्ञेय	10साल की कैद और जुर्माना	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
16	498	84	विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना	जमानतीय	असंज्ञेय	2साल की कैद या जुर्माना या दोनों	कोई भी मजिस्ट्रेट
17	498(क)	85	दहेज़ प्रताड़ना के मामलों के लिए	अजमानतीय	संज्ञेय	3साल की कैद और जुर्माना	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
18	366	87	अपहरण करना या महिला को शादी के लिए मजबूर करना	अजमानतीय	संज्ञेय	10साल की कैद और जुर्माना	सत्र न्यायालय
19	313	89	स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना	अजमानतीय	संज्ञेय	आजीवन या 10 साल के लिए कारावास और जुर्माना	सत्र न्यायालय
20	314	90	गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य से हुई मृत्यु	अजमानतीय	संज्ञेय	आजीवन या 10 साल के लिए कारावास और जुर्माना	सत्र न्यायालय
21	366(क)	95	किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 3 साल की कैद लेकिन 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
22	372 373	98/ 99	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए बच्चे को बेचना या ख़रीदना	अजमानतीय	संज्ञेय	10साल की कैद और जुर्माना	सत्र न्यायालय
23	326 (क)	124	तेजाब आदि के प्रयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 10 साल लेकिन जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना	सत्र न्यायालय
24	366(ख)	141	विदेश से	अजमानतीय	संज्ञेय	10साल की कैद और जुर्माना	सत्र न्यायालय

			लड़की या लड़के का आयात				
25	294	296	अश्लील हरकतें और गाने	जमानतीय	संज्ञेय	3महीने की कैद या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों	कोई भी मजिस्ट्रेट
26	506	351(2)	आपराधिक धमकी	जमानतीय	असंज्ञेय	2साल की कैद या जुर्माना या दोनों	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को साल 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पेश किया गया

धारा Cr.P.C	धारा BNSS	शीर्षक	सजा के प्रावधान	न्यायालय
107	126	किसी व्यक्ति को लगातार परेशान या झगड़ा करने पर	एक साल से अधिक नहीं होगी	कार्यकारी मजिस्ट्रेट
125	144	पत्नी ,संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश	एक महीने तक की जेल या जबतक भुगतान न करे तबतक	पारिवारिक न्यायालय
151	170	संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ़्तारी	24घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता	कार्यकारी मजिस्ट्रेट

"घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005" के द्वारा महिलाएं अपने जिले में सुरक्षाकर्मी,सेवा प्रदाता व किसी महिला संगठन के सहयोग से इन निम्न धाराओं के अंतर्गत सुविधा प्राप्त कर सकती है

धारा 3	घरेलू हिंसा की परिभाषा	किसी महिला को उसके घरेलू माहौल में शारीरिक ,मानसिक ,यौन और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है वो घरेलू हिंसा में शामिल है।
धारा 4	सुरक्षा आदेश	पीड़िता सुरक्षा आदेश प्राप्त कर सकती है ,जिसमें आरोपी को पीडिता के पास जाने से रोका जा सकता है।
धारा 5	आदेश देने का अधिकार	पीडिता पारिवारिक न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकती हा, जिसमें पति या परिवार के अन्य सदस्य को उसके खिलाफ़ हिंसा से रोकने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
धारा 6	आवेदन की प्रक्रिया	पीडिता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक कोर्ट में आवेदन कर सकती है, आवेदन की प्रक्रिया सरल और बिना क़ानूनी जटिलताओं वाली होती है।
धारा 7	आर्थिक सहायता	पीडिता को न्यायालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है,जिसमें उसकी आवश्यकताओं और खर्चों के लिए सहायता शामिल होती है।
धारा 10	आधिकारिक सेवा प्रदाता	सरकारी अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन ,जिन्हें" सेवा प्रदाता "कहा जाता है, पीडिता की शिकायत दर्ज कर सकते है और उसे कानूनी सहायता दिला सकते है।
धारा 12	फ़ैसला और प्रक्रिया	पारिवारिक न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा के मामलों में फैसला सुनाया जाता है और अदालत की प्रक्रिया को इस धारा के तहत नियंत्रित किया जाता है।
धारा 17	पीडिता का अधिकार	यह अधिनियम महिला को उसके निवास स्थान पर रहने का अधिकार देता है, पति या ससुराल पक्ष उसे घर से नहीं निकाल सकते।
धारा 19	निवारण आदेश	न्यायालय पीडिता को निवास स्थान पर रहने का आदेश दे सकता है और आरोपी को घर से बाहर निकाल सकता है ,यह आदेश तब भी लागू हो सकता है जब घर आरोपी के नाम पर हो।

क़ानूनी कार्यवाही-:

न्यायालय में शिकायत -महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कर सकती है, जहाँ से उसे न्यायिक सुरक्षा और अन्य आवश्यक राहतें मिल सकती है। आवेदन प्रक्रिया -पीडिता सीधे कोर्ट या पुलिस स्टेशन में आवेदन कर सकती है, उसे सेवा प्रदाता ,पुलिस या संरक्षण अधिकारी की मदद से भी आवेदन करने की सुविधा है।

- **डायन प्रथा** :- राजस्थान सरकार ने डायन प्रताड़ना की रोकथाम और पीड़ित महिला के राहत और पुर्नवास के लिए राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम को 24 अप्रैल 2015 को पारित कर 17अगस्त 2015 और उससे जुड़े नियम 26 जनवरी 2016 को लागू किये है।

धारा (आईपीसी)	धारा (बीएनएस)	अपराध	अपराध की प्रकृति	संज्ञेय / असंज्ञेय	सजा के प्रावधान	न्यायालय
धारा 3 के तहत		अपराध का निषेध)किसी महिला को डायन घोषित करना या इस प्रकार का आरोप लगाना अपराध है(	अजमानतीय	संज्ञेय	ऐसा करने पर उसे 1से 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है।	सत्र न्यायालय
302	103(1)	हत्या के लिए दंड	अजमानतीय	संज्ञेय	मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना	सत्र न्यायालय
307	109	हत्या करने का प्रयत्न	अजमानतीय	संज्ञेय	10साल की कैद और जुर्माना	सत्र न्यायालय
323	115(2)	स्वेच्छा से चोट पहुँचाना	जमानतीय	असंज्ञेय	1साल की कैद या 10, 000का जुर्माना या दोनों	कोई भी मजिस्ट्रेट
324	118(1)	खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुँचाना	अजमानतीय	संज्ञेय	3साल की सजा या20 , 000का जुर्माना या दोनों	कोई भी मजिस्ट्रेट
326	118(2)		अजमानतीय	संज्ञेय	आजीवन या कम से कम एक वर्ष का कारावास या जुर्माना	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
354	74	महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	अजमानतीय	संज्ञेय	1साल की कैद जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना	कोई भी मजिस्ट्रेट
376 (क)	66	पीडिता की मृत्यु या लगातार विक्रितशील दशा कारित करने के लिए दंड	अजमानतीय	संज्ञेय	कम से कम 20 साल की सजा जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है	सत्र न्यायालय

"महिला संपत्ति पर अधिकार" में कई कानूनी अधिकार होते है जैसे

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

धारा 6	सह-उत्तराधिकारी के रूप में बेटियों का अधिकार	इस अधिनियम के तहत हिन्दू, बोद्ध ,जैन और सिख धर्म की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार दिए गए है । 2005 में इस कानून में ससोधन किया गया जिसके बाद बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बेटे के समान अधिकार मिला	पारिवारिक न्यायालय
धारा 14	महिलाओं की संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व		
धारा 15	हिन्दू महिला की संपत्ति का उत्तराधिकार		
धारा 23	निवास के अधिकार		

विधवा अधिकार-:

धारा 8	उत्तराधिकारी के रूप में विधवा का अधिकार	इसके तहत एक हिन्दू विधवा को उसके पति की संपत्ति का वारिस माना जाता है ।उसे भी अपने पति की संपत्ति मेंबेटेव बेटियों के समान अधिकार मिलता है ।	पारिवारिक न्यायालय

मुस्लिम पर्सनल लॉ) शरियत (आवेदन अधिनियम, 1937

मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार		
धारा (8) उत्तराधिकारी के रूप में विधवा का अधिकार(	मुस्लिम कानून के तहत किसी भी विधवा को उत्तराधिकार से बाहर नहीं रखा गया है। एक निःसंतान मुस्लिम विधवा अपने मृत पति के अंतिम संस्कार और कानूनी खर्चों और ऋणों को पूरा करने के बाद उसकी संपत्ति का एक-चौथाई पाने की हकदार है। हालाँकि, एक विधवा जिसके बच्चे या पोते-पोतियाँ हैं, वह मृत पति की संपत्ति के आठवें हिस्से की हकदार है।	मुस्लिम पर्सनल लॉ) शरियत (अदालते होती है वहां आवेदन किया जाता है ,यदि महिला शरियत अदालत में मामला दर्ज नहीं करना चाहती है तो वह पारिवारिक न्यायालय में आवेदन कर सकती है

हमारा कानून, हमारा अधिकार
राजसमन्द जन विकास संस्थान (महिला मंच) द्वारा जनहित में जारी

राजसमन्द जन विकास संस्थान (महिला मंच)

सोमनाथ चौराहा, नाथद्वारा रोड़,कांकरोली , जिला राजसमन्द 313324,
फोन नं.- 02952-221909, ई-मेल :- rjvs10@yahoo.com